प्रेस नोट- अगस्त 24, 2023

उ.प्र. रेरा ने आवंटी को विलम्ब ब्याज एवं इकाई का कब्जा सुनिश्चित कराया

उ.प्र. रेरा कंसिलिएशन फोरम के प्रयासों से प्रोमोटर 'मेसर्स ए.टी.एस. रियल्टी प्रा.लि.' की ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर स्थित 'ए.टी.एस. एलयोर' परियोजना के एक आवंटी "श्री अमित कुमार" को कब्जा मिलने में हुई देरी के लिए ब्याज सहित उनकी दोनों इकाइयों का कब्जा प्राप्त हुआ।

दोनों पक्षों के मध्य हुए समझौते के अनुसार **आवंटी को तय तिथि से 6 वर्ष बाद इकाई का कब्जा मिला, कब्जे में विलम्ब के कारण प्राप्त होने वाली ब्याज की राशि का समायोजन प्रोमोटर की अंतिम बकाया राशि में कराया गया, लगभग रुपये 5 लाख, तथा कब्जा हेतु आवंटी को शेष बकाया राशि, मात्र रुपये 56 हजार का भुगतान करना पड़ा। कंसिलिएशन फोरम द्वारा विवाद का समाधान होने से सन्तुष्ट आवंटी ने उ.प्र. रेरा के प्रयासों की सराहना की।**

'एग्रीमेन्ट फॉर सेल' के अनुसार आवंटी ने प्रोमोटर की परियोजना में **अक्टूबर 2013 में दो इकाई बुक** की थी । **लगभग 45 लाख की लागत वाले दोनों इकाइयों के लिए आवंटी ने शत प्रतिशत भुगतान कर दिया था जिसका कब्जा मार्च 2017 में प्राप्त** होना था। लेकिन तय समय तक इकाई का कब्जा न मिलने, अंतिम मांग राशि तथा विलंबित अवधि के ब्याज का समाधान न प्राप्त होने पर आवंटी ने 2022 में उ.प्र. रेरा में शिकायत **(GAU205202215341)** दर्ज करके कन्सिलीएशन फोरम के माध्यम से समाधान की मांग की थी।

कंसिलिएशन फोरम ने शुल्कों की गणना करते हुए आवंटी की मांग के अनुसार प्रोमोटर को प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। प्रोमोटर से प्राप्त प्रस्ताव का आवंटी ने अवलोकन कर अपनी सहमति दी थी जिसके उपरान्त दोनों पक्षों ने समझौता कर विवाद समाप्त कर लिया और **समझौते की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय, उ.प्र. रेरा** में जमा करवा दी।